न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 51 / 2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री रामदयाल जाट एडवोकेट, न्यायालय परिसर, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा
––अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरडा, जिला भीलवाड़ा।
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि
अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 01.09.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 28.07..2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 391157 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 04.06.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरडा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.08.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीदार हुरडा के पत्रांक 11 दिनांक 17.08.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन–पत्र द्वारा न्यायालय तहसीदार हुरड़ा में विचाराधीन वाद से संबंधित सूचना चाही गयी। उक्त पत्रावली में संधारित समस्त लोक दस्तावेज जैसी स्थिति में थे, वैसी छायाप्रति प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई एवं प्रोसेडिंग की छायाप्रति हेतु प्रार्थी के तृतीय पक्षकार होने से प्रार्थी को अधिकार पत्र प्रस्तुत करने बाबत् सूचित किया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा अधिकार पत्र पेश नहीं किये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस न्यायालय को अवगत कराया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा में निर्णित जिस प्रकरण से न्यायालय तहसीलदार, हुरड़ा को आदेशित किया गया है, उक्त प्रकरण में प्रार्थी स्वयं पक्षकार के अधिवक्ता थे एवं न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अधिकार पत्र पेश किया हुआ था। साथ ही अवगत कराया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा प्रकरण में पारित आदेश में भी प्रार्थी अधिवक्ता का नाम अंकित है। अतः पुनः न्यायालय तहसीलदार, हुरड़ा में विचाराधीन पत्रावली में नये सिरे से अधिकार पत्र पेश किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा पारित आदेश में प्रार्थी अधिवक्ता का नाम अंकित होने से प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तहसीलदार, हुरड़ा से वांछित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा द्वारा सूचना पूर्णतः उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः अपीलार्थी की अपील अंतर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा